आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

Where India Banks

(A Govt. of India Undertaking)

वार्षिक रिपोर्ट-2015-16

ANNUAL REPORT-2015-16

Total Business
Rs. 3,10,673 cr.

- Delivery Channels 6477 • Branches 2803
- ATMs (Including BNAs) 3636
- States 26 • Union Territories 03

निदेशक मंडल Board of Directors

सुरेश एन पटेल
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
Suresh N Patel
Managing Director and CEO

एस के कालरा
कार्यपालक निदेशक
S K Kalra
Executive Director

अजीत कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक
Ajit Kumar Rath
Executive Director

आनन्दराव विष्णु पाटिल
भारत सरकार नामिति निदेशक
Anandrao Vishnu Patil
Govt. of India Nominee Director

ई ई कार्तक
भा रि बैं नामिति निदेशक
E E Karthak
RBI Nominee Director

के तामरैसेलवन
निदेशक
K Thamaraiselvan
Director

डॉ नैना शर्मा
निदेशक
Dr. Naina Sharma
Director

अमित गोयल
निदेशक
Amit Goel
Director

ए कृष्णकुमार
निदेशक
A Krishnakumar
Director

जी शिवकुमार
निदेशक
G Sivakumar
Director

विषयसूची / CONTENTS

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से / From the Managing Director & CEO 2
- वार्षिक साधारण बैठक की सूचना / Notice of Annual General Meeting 6
- निदेशकों की रिपोर्ट / प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण / Directors' Report / Management Discussion and Analysis 24
- बेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क) / Disclosures Under Pillar-III of Basel-II (New Capital Adequacy Framework) 62
- कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट / Corporate Governance Report 142
- तुलन पत्र / Balance Sheet 212
- लाभ व हानि लेखा / Profit and Loss Account 213
- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ /Significant Accounting Policies 224
- लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts 234
- नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement 272
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report 274
- हमारी प्रगति का विहंगावलोकन/ Our Progress at a glance 276
- मुख्य निष्पादन अनुपात / Key Performance Ratios 278
- विदेशी मुद्रा में संक्षिप्त वित्तीय विवरण Abridged Financial Statements in Foreign Currency 280
- शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या - समूहवार Classification of Branches - Population Groupwise 282
- अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण - आन्ध्रा बैंक फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड Financial Statements of Subsidiary - Andhra Bank Financial Services Limited 284
- आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी का समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements of Andhra Bank and its Subsidiary 342
- प्रॉक्सी फार्म / Proxy Form 376
- उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास / Attendance Slip / Entry Pass 378

महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम / CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
एजीएम सूचना प्राप्ति के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि / Cut-off Date for determining the shareholders eligible receive the AGM Notice	शुक्रवार, जून 17, 2016 / Friday, June 17, 2016
लाभांश के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि / Record Date for the purpose of Dividend	गुरूवार, जुलाई 14, 2016 / Thursday, July 14, 2016
वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश भुगतान हेतु बही बंदी तिथि / Book Closure Dates for Annual General Meeting and Dividend Payment	15.07.2016 से 20.07.2016 / 15.07.2016 to20.07.2016 (शुक्रवार से बुधवार) / (Friday to Wednesday)
रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/ बैठक में चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने हेतु विनिर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि / Specified Cut-off Date for ascertaining the shareholders entitled to vote through remote e-voting poll at the venue	बुधवार, जुलाई 13, 2016/ Wednesday, July 13, 2016
प्रॉक्सी फार्म / प्राधिकृत प्रतिनिधियोंकी नियुक्ति के संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि / Last date for receipt of Proxy Forms Resolutions appointing Authorised Representatives	शुक्रवार, जुलाई 15, 2016 (शाम 5.00 बजे तक) /Friday, July 15, 2016 (upto 5.00 P.M.)
रिमोट ई-वोटिंग अवधि / Remote e-voting Period	रविवार, जुलाई 17, 2016 (सुबह 10.00 बजे से) / Sunday, July 17, 2016 (from 10.00 A.M.) to मंगलवार, जुलाई 19, 2016 (शाम 5.00 बजे तक)/ Tuesday, July 19, 2016 (upto 5.00 P.M.)
वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय / Date and time of Annual General Meeting	बुधवार, जुलाई 20, 2016 को 11.00 बजे / Wednesday, July 20, 2016 at 11.00 A.M.
लाभांश भुगतान तिथि / Dividend Pay-out Date	मंगलवार, जुलाई 26, 2016 /Tuesday, July 26, 2016

लेखा परीक्षका AUDITORS

प्रेम गुप्ता एवं कं
PREM GUPTA & CO

वी.कृष्णन एवं कं
V.KRISHNAN & CO.

बाषा एवं नरसिम्हन
BASHA & NARASIMHAN

सागर एवं एसोसिएट
SAGAR & ASSOCIATES

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
Registar & Share Transfer Agents

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि

002, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5,
पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई ऊ 400009

M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED
002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BUILDING, 5, P.D' MELLO ROAD,
MASJID EAST, MUMBAI - 400 009
Ph No. 022-40406020/22/23/24
Fax no. 022 -40206021

शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीइओ का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 3.10 लाख करोड़ रु का कुल व्यवसाय पार करके एक और उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आपके बैंक की कार्य-निष्पादन मुख्य उपलब्धियां निम्न अनुसार रहीं :-

- कुल व्यवसाय 31.03.2015 तक 2,84,588 करोड़ रु से बढ़कर 9.2% वृद्धि दर दर्ज करते हुए 31.03.2016 तक रु.3,10,673 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष में रु.155012 करोड़ से बढ़कर 12.4% वृद्धि दर दर्ज करते हुए रु.174302 करोड़ हुईं।
- कासा जमाराशियाँ रु.42404 करोड़ से बढ़कर 7.2% वृद्धि दर दर्ज करते हुए रु.45465 करोड़ हो गईं।
- जमाराशियों की लागत 7.18% रही।
- सकल बैंक ऋण रु.129576 करोड़ से बढ़कर 5.2% वृद्धि दर दर्ज करते हुए रु.136371 करोड़ हुए हैं।
- ऋण जमा अनुपात गत वर्ष 83.61% की तुलना में 78.27% रहा।
- अग्रिमों पर प्रतिफल 10.71% रहा।
- निवल ब्याज मार्जिन 3.18% रहा।
- गैर-ब्याज आय रु.1564 करोड़ रही।
- वर्ष 2015-16 हेतु निवल लाभ रु. 540 करोड़ रहा।
- सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए अनुपात 8.39% रहा।
- निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए अनुपात 4.61% रहा।
- बेसल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.58% रहा।
- औसत आस्तियों पर प्रतिफल 0.28% रहा।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ रु.2.89 लाख रहा।
- प्रति कर्मचारी औसत व्यापार रु.15.12 करोड़ रहा।
- नेटवर्क विस्तार : वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने **296** शाखाएं खोलीं तथा **1404** एटीएम/बीएनए/सीआर जोड़े। दिनांक 31.03.2016 तक बैंक की **2803** शाखाओं, **4** विस्तार पटल, **34** सैटेलाइट कार्यालय तथा **3636** एटीएम/बीएनए/सीआर सहित **6477** डिलिवरी चैनल हैं।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार हेतु निम्न आई.टी पहल की हैं यथा:

- बैंक ने एसबीआई ई-पे, पेयू, सिट्रस, ईबीएस तथा टाइम्स ऑफ मनी जैसे भुगतान गेटवे सेवा-प्रदाता से टाई-अप किया है तथा इंटरनेट बैंकिंग से एकीकृत किया है।
- बैंक ने बीएसएनएल तथा पाइरो के साथ मिलकर प्री-पेड कार्ड स्पीड-पे सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया।
- शाखाओं में आईएमपीएस लेनदेन इनेबुल करने हेतु फिनेकल में नया मॉडयूल तैयार किया गया है। आईएमपीएस शाखा मॉडयूल के प्रयोग से, ग्राहक खाता नम्बर तथा आईएफएससी द्वारा तुरन्त अन्य बैंक के ग्राहक को पैसा भेज सकते हैं।
- बैंक ने मैसर्ज सिट्रस के साथ मिलकर वैलेट प्रारम्भ किया है। इस डिजिटल व्यक्तिगत वित्त प्रबन्धक मोबाइल एप द्वारा ग्राहक भुगतान-अनुस्मारक बनाकर भुगतान कर सकते हैं।
- हमारे बैंक ने पे-टाइम भुगतान गेटवे सेवाओं से एकीकरण किया है। इस सुविधा से, हमारे बैंक के खुदरा इंटरनेट ग्राहक पे-टाइम द्वारा पंजीकृत मर्चेंट से खरीदे गए सामान हेतु ऑन-लाइन भुगतान कर सकते हैं।
- एपीईपीडीसीएल पॉवर बिल भुगतान आन्ध्रा बैंक एटीएम में इनेबुल किया गया है।

प्रोसेस-सुधार/परिचालन में सरलता हेतु नई सुविधाएं :-

- आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना राज्यों में फसल बीमा मॉडयूल।
- खुदरा तथा कारपोरेट ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कस्टम-शुल्क/उत्पाद/सेवा-कर भुगतान।
- इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/एसएमएस/इंटरनेट बैंकिंग चैनल द्वारा पीएमजेबीवाई/पीएमएसबीवाई
- एसएमएस द्वारा एपीवाई :- अटल पेंशन योजना में पंजीकरण हेतु एसएमएस द्वारा ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त करने हेतु एक नया मॉडयूल तैयार किया गया है।
- बैंक ने नेट-बैंकिंग द्वारा ऑन-लाइन आरडी खाता खोलने हेतु सुविधा प्रदान की है।
- बैंक ने नेट-बैंकिंग द्वारा स्थायी अनुदेश की पूछताछ/संशोधन/हटाने हेतु खुदरा ग्राहकों के लिए ऑन-लाइन स्थायी अनुदेश मॉडयूल प्रारम्भ किया है।
- पीपीएफ को ऑन-लाइन अंशदान :- अब इंटरनेट बैंकिंग खुदरा ग्राहक अपना पीपीएफ खाता लिंक सकते हैं तथा पीपीएफ खातों को निधि अंतरित कर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण/विपंजीकरण/एम-पिन :- यह सुविधा ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग द्वारा स्वयं पंजीकरण/विपंजीकरण/एम-पिन हेतु प्रदान की गई है।
- नेट बैंकिंग ग्राहकों हेतु ऑन-लाइन ई-टीडीआर तथा मीयादी जमा ऑन-लाइन मीयादी जमा खाता खोलने वाले ग्राहक पीडीएफ फार्मेट (ई-टीडीआर) में मीयादी जमा रसीद ले सकते हैं। ग्राहक ये खाते ऑन-लाइन बन्द कर सकते हैं।
- ऑन-लाइन लॉकर बुक करना :- बैंक की वेबसाइट पर अब सम्भावित ग्राहकों को विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध खाली लॉकर के विवरण देखने का विकल्प दिया गया है।
- ऑन-लाइन बचत बैंक खाता खोलना :- हमारी वेबसाइट www.andhrabank.co.in (Online Services>Online Savings Account Opening) द्वारा ऑन-लाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा द्वारा कोई भी निवासी भारतीय बचत बैंक खाता खोलने हेतु ऑन-लाइन आवेदन दे सकता है।

Managing Director & CEO's Letter to Shareholders

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to share with you that your Bank crossed yet another milestone during financial year 2015-16 with its total Business surpassing the Rs.3.10 Lakh Crore mark. The performance highlights of your Bank for the Financial Year 2015-16 are as follows:

- **Total Business increased to** Rs. 3,10,673 Crore as on 31.03.2016, from Rs. 2,84,588 Crore as on 31.03.2015 registering a growth rate of 9.2%.
- **Total Deposits increased to** Rs. 174302 Crore from Rs. 155012 Crore in the previous year, registering a growth rate of 12.4%.
- **CASA Deposits increased to** Rs. 45465 Crore from Rs. 42402 Crore, registering a growth rate of 7.2%.
- **Cost of Deposits** stood at 7.18%.
- **Gross Bank Credit** increased to Rs. 136371 Crore from Rs. 129576 Crore, registering a growth rate of 5.2%.
- **Credit Deposit Ratio** stood at 78.27% compared to 83.61% during the previous year.
- **Yield on advances** stood at 10.71%
- **Net Interest Margin** stood at 3.18%.
- **Non-Interest Income** stood at Rs. 1564 Crore.
- **Net Profit for 2015-16** stood at Rs. 540 Crore.
- **Gross NPAs to Gross Advances Ratio** stood at 8.39%.
- **Net NPAs to Net Advances Ratio** stood at 4.61%.
- **Capital Adequacy Ratio** stood at 11.58% under BASEL-III.
- **Return on Average Assets** stood at 0.28%.
- **Net Profit per Employee** stood at Rs. 2.89 Lakh.
- **Average Business per Employee** stood at Rs. 15.12 Crore.
- **Network Expansion:** During 2015-16, your Bank opened **296** Branches and added **1404** ATMs/BNAs/CRs. As on 31.03.2016, Bank had **6477** Delivery Channels consisting of **2803** Branches, **4** Extension Counters, **34** Satellite Offices and **3636** ATMs/BNAs/CRs.

During FY 2015-16, your Bank has taken the following I.T. initiatives to improve Customer Service:

- Bank has tied up with Payment Gateway services provider like SBIePay, Payu, Citrus, EBS, and Times of Money and integrated the same with Internet Banking.
- Bank in association with BSNL and Pyro has successfully launched the cobranded prepaid card SpeedPay.
- New module is developed in Finacle to enable IMPS transaction at branches. Using IMPS Branch module, customer can remit funds to other bank customers instantly using account number and IFSC.
- Bank has launched cobranded wallet with M/s Citrus. Using this digital personal finance manager Mobile App, Customers can create payment reminders and make payments.
- Our Bank's has integrated with Paytm payment gateway services. With this facility, our Bank retail internet banking customers can make payments online for merchandise purchased from the merchants enrolled by Paytm
- APEPDCL Power bill payment is enabled through Andhra Bank ATM.

Process Improvements/ New Facilities increasing Ease of operations:

- Customization of Crop Insurance Module in AP/ Telangana states.
- Customs Duty/Excise/Service Tax payment through Internet Banking for retail and corporate customers.
- PMJBY/PMSBY request seeding through Internet Banking / ATM / SMS / Internet Banking Channel.
- APY through SMS Mode : For enrolment to Atal Pension Yojana, a new module is developed for receiving request from customer through SMS.
- Bank has enabled Online RD account opening through Net Banking.
- Bank has introduced online standing instructions module for retail customers to modify / delete / inquire a standing instruction through net banking.
- Online contribution to PPF: Internet Banking Retail customers can now link their PPF accounts and carry out funds transfer to PPF accounts.
- Mobile Banking registration/deregistration/m-PIN through Internet Banking: Facility is enabled for customers to register/de-register/set m-PIN themselves using Internet Banking.
- Online e-TDR and Term Deposit closure for net Banking customers: Customers opening online Term Deposit account can generate Term Deposit Receipt in PDF format (e-TDR). Customer can close such accounts online.
- Online booking of lockers: On Banks website now option is provided to prospective customers to view the details of the vacant lockers available at different branches.
- Online SB Account Opening: Online SB Account Opening is enabled through our website www.andhrabank.co.in (Online Services>Online Savings Account Opening). Using this facility, any resident Indian can apply for opening of Saving Bank Account online.

प्रक्रिया-सुधार :-

- एटीएम हेतु एकीकृत ई-निगरानी पद्धति :- बैंक ने एटीएम से सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु केन्द्रीयकृत एकीकृत सुरक्षा निगरानी पद्धति कार्यान्वित की है ।
- कैश-रीसाईकलर्स :- बैंक ने 1133 कैश-रीसाईकलर्स लगाए हैं, जो 24x7 नकदी स्वीकार तथा प्रदान करते हैं तथा ऋण खाते में जमा की सुविधा भी कैश-रीसाईकलर्स में उपलब्ध है ।
- आन्ध्रा बैंक ने फेसबुक तथा टिविटर खाते खोले हैं ।

वित्तीय समावेशन :-

- पीएमजेडीवाई :- बैंक ने 21.78 लाख खाते खोले हैं । औसत शेष 977.51 रु सहित 212.91 करोड़ रु की कुल जमा संग्रहित की गई है ।
- बैंक ने 46,844 ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की है । कुल 176.28 लाख रु पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत 13,547 ग्राहकों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया ।
- एपीवाई :- बैंक ने प्रथम एवं द्वितीय चरण में एपीवाई के अन्तर्गत 1,61,120 खाते खोले हैं । बैंक दोनों चरणों में 23.77% द्वारा सभी प्रमुख बैंकों में प्रथम स्थान पर रहा ।
- पीएमएसबीवाई :- पीएमएसबीवाई के अन्तर्गत 6.60 लाख खाते खोले गए ।
- पीएमजेजेबीवाई - पीएमजेजेबीवाई के अन्तर्गत 6.50 लाख खाते खोले गए तथा 1099 दावे निपटाए गए ।
- बैंक ने सभी आबंटित उप-सेवा क्षेत्रों में 1811 बैंक मित्र नियुक्त किए । वर्तमान में,1476 बैंक मित्र सक्रिय रूप से लेनदेन कर रहे हैं ।

आपका बैंक प्रौद्योगिकी की सहायता तथा समर्पित मानव संसाधन द्वारा ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने हेतु प्रतिबद्ध है तथा शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए अनथक प्रयास एवं कार्य करता रहेगा । हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(सुरेश एन पटेल)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.05.2016

System Improvements:

- Integrated e-surveillance system for ATMs: Bank is implementing centralized integrated security surveillance system to prevent ATM related physical crimes.
- Cash Recyclers: Bank has installed 1133 Cash Recyclers, which can accept as well as dispense cash 24 x 7 & credit to loan account is also enabled in Cash Recyclers.
- Andhra Bank has opened official Facebook and Twitter accounts.

Financial Inclusion :

- PMJDY- Bank has opened 21.78 Lakh accounts. Total deposits of Rs. 212.91 Crore have been mobilized with an average balance of Rs.977.51.
- Bank has sanctioned Over Draft to 46,844 customers. 13,547 customers availed over draft facility under PMJDY to the extent of Rs. 176.28 lacs.
- APY - Bank has enrolled about 1,61,120 accounts under APY in both Phase-I & II. Bank stood first among all major banks by achieving 23.77% of the set target in both phases.
- PMSBY - 66.60 lakh accounts have been enrolled under PMSBY.
- PMJBY- 6.50 lakh accounts have been enrolled under PMJBY and settled 1099 claims.
- Bank has appointed 1811 Bank Mitras covering all allotted Sub Service Areas. Presently about 1476 bank mitras are actively doing transactions.

Your Bank is committed towards delivering best services to customers by leveraging on technology and dedicated human resources, and would tirelessly work towards maximizing shareholders' value.

With warm wishes,

Yours sincerely,

(Suresh N Patel)
Managing Director & CEO

Place : Hyderabad
Date : 30.05.2016

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार 20 जुलाई 2016 को प्रात:11.00 बजे 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004 में निम्न उद्देश्य हेतु आयोजित की जाएगी ।

- 31 मार्च 2016 तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तथा खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु ।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ईक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना ।
- निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे आशोधन के साथ या बिना आशोधन पारित करना ।

संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980(योजना) तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जि ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), और/या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे बैंक के निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और अद्यतन संशोधन सहित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2009 (आईसीडीआर विनियमन, 2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्पष्टीकरण सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) को एक या अधिक भागों में, एक या अधिक सदस्यों सहित, बैंक के कर्मचारी, भारतीय राष्टिय, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनी, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाएं, सोसाईटी, न्यास, अनुसंधान संगठन, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता ("कयूआईबी"), यथा विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआईआई") भारतीय म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनी, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थाएं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी, जो ईक्विटी/अधिमानी शेयर/बैंक की प्रतिभूतियों में उचित माने गए अनुसार उपर्युक्त में से किसी भी कॉम्बिनेशन में, निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं, को रु.681.16 करोड़ के वर्तमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ-साथ ऐसी राशि (बैंक के बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा लिए जानेवाले निर्णय के अनुसार) रु.3000 करोड के भीतर, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतर) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी है या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले आशोधन (यदि कोई) के अनुसार संवर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक, भारत या विदेश में, ईक्विटी शेयर और/या अधिमानी शेयर (संचयी या नहीं, ईक्विटी में परिवर्तनीय या नहीं) की ऐसी संख्या, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों, अधिमानी शेयरों की श्रेणी विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, चाहे बेमीयादी हो या मोचनीय, अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी हेतु लागू नियम और शर्तों पर, और/या अन्य अनुमत प्रतिभूति, जिन्हें ईक्विटी में परिवर्तन हेतु अनुमति हो या न हो, हेतु प्रस्ताव प्रलेख/प्रास्पेक्टस या ऐसे किसी अन्य प्रलेख के माध्यम से बैंक द्वारा सृजन, ऑफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु (इसमें फर्म आबंटन पर आरक्षण और/या निर्गम के ऐसे अंश के प्रतिस्पर्धात्मक आधार शामिल है और तत्समय लागू विधि द्वारा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए) बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of shareholders of Andhra Bank will be held on Wednesday, 20th July, 2016 at 11.00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Reports on the Balance Sheet and Accounts;
- To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2015-16;
- To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (Scheme) and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and/ or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto such amount/s (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing paid-up equity share capital of ₹ 681.16 Crores will be within Rs.3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank, as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Members, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-resident Indians (NRIs), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा जीओआई/भारिबैं द्वारा अन्य किसी पद्धति द्वारा किया जाएगा, जिसमें अति आबंटन विकल्प हो या न हो और ऐसा ऑफर, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अधिप्राप्ति और अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और यथा लागू काई अन्य प्राधिकार, द्वारा जारी सभी अन्य दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और ऐसे समय और पद्धति और बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित माने गए ऐसे नियम और शर्तों पर किया जाएगा"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसी पद्धति में जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या निम्नांकक और/या अन्य सलाहकार के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड द्वारा, अपने पूर्ण विवेकानुसार, ऐसे मूल्य पर जो आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो, आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और कोई या सभी अन्य लागू विधि, नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियां निवेशकों को जारी करने का निर्णय ले सकता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के सदस्य हों या न हों"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के प्रावधान, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अधिप्राप्ति और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधान, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के प्रावधान, सेबी आईसीडीआर विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेश में रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और यथापेक्षित सभी अन्य प्राधिकारी (अब से सामूहिक रूप से उचित प्राधिकारी कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी की शर्त पर और इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (अब से आवशयक अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय यथा निर्धारित शर्तों पर, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, समय-समय पर, क्यूआईबी (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषा के अनुसार) को आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के अनुपालन में, प्लेसमेंट प्रलेख और/या ऐसे अन्य प्रलेख/लिखित/ ारिपत्र/ज्ञापन के माध्यम से और ऐसी पद्धति और ऐसे मूल्य, नियम और शर्तों पर, जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा आईसीडीआर विनियम और तत्समय लागू विधि के अन्य प्रावधान के अनुसार एक या अधिक भागों में, ईक्विटी शेयर या वारंट के अतिरक्ति कोई अन्य प्रतिभूति, जो बाद की तारीख में ईक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तनीय या के साथ विनिमय योग्य हैं, इस प्रकार से निर्गम, आफर और आबंटित कर सकता है, ताकि बैंक में केंद्र सरकार का अंश भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रतिशत से कम न हो; बशर्ते कि इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार आकलित मूल्य से कम न हो"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में:

क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत क्यूआईबी को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के अंदर किया जाएगा।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधान के अधीन क्यूआईपी के लिए इस प्रकार आकलित मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक बट्टे पर शेयर ऑफर करने हेतु प्राधिकृत है ।

ग) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबंधित तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा निर्गम, आबंटन और इनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते समय अपेक्षित या अधिरोपित अनुसार और बोर्ड द्वारा सहमति दिए अनुसार प्रस्ताव में आशोधित स्वीकार करने का प्राधिकार होगा"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूति, यदि हो का निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के अधीन है"।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर, संशोधित अनुसार आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) अधिनियम, 2003 की शर्त पर ऐसी घोषणा के समय यथा लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर, लाभांश सहित, यदि हो, की सममात्रा होगे"।